मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
मानवाधिकार प्रकोष्ठ, द्वितीय तल, टॉवर–2, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
फैक्स नं0: 0522–2390476 e-mail: humanrightshq@nic.in

डीजी परिपत्र संख्या– 18/2021 दिनॉक: लखनऊ: मई 31 ,2021

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
कानपुर नगर/लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/वाराणसी ।

समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस अधीक्षक 'रेलवेज',
उत्तर प्रदेश

विषयः पुलिस कर्मियों द्वारा सिख अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते समय उनके धार्मिक चिन्हों, यथा पगड़ी, केश, दाढ़ी इत्यादि का अपमान न किये जाने के सम्बन्ध में।

———

उपर्युक्त विषय में मा0 सदस्य, उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ के पत्रांक–98/अ0सं0आ0/स0द0/2021 दिनांक 24.05.2021 (छायाप्रति संलग्न) में अवगत कराया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है :–

"आयोग के समक्ष पिछले कुछ समय से इस प्रकार की घटनायें संज्ञान में आ रहीं हैं, जिसमें कि पुलिस कर्मियों के द्वारा सिख अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते समय उनके धार्मिक चिन्हों यथा पगड़ी, केश, दाढ़ी इत्यादि का अपमान किया जा रहा है। वर्तमान में कुछ दिनों पूर्व ही पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सैनिक सरदार रेशम सिंह के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तथा एक अन्य वायरल वीडियो जो कि कथित तौर पर जिला शामली का बताया जा रहा है, में पुलिस कर्मियों के द्वारा बर्बरता पूर्वक सिख व्यक्ति को, उसके केश पकड़ कर पीटते हुए दर्शाया गया है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता एवं गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है।"

2– मा0 आयोग द्वारा अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सिख अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्व विधिक कार्यवाही किये जाते समय, उनके धार्मिक चिन्हों की गरिमा को ध्यान में रखा जाये। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी है कि इस आदेश को प्रदेश के समस्त जनपदों में, थाना स्तर पर थानाध्यक्षों को उपलब्ध कराये जाये, ताकि उक्त घटनाओं को रोका जा सके।

cirrcular

3– अतः मा0 उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सिख अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते समय संवेदनशीलता के साथ उनके धार्मिक चिन्हों की गरिमा का ध्यान रखा जाये। इन निर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त थानाध्यक्षों को भी अवगत करा दिया जाये, ताकि उक्त घटनाओं को रोका जा सके।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकःयथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0,लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

(28)

23/6/21

(1)

उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग

اترپردیش اقلیتی کمیشن

U.P. COMMISSION FOR MINORITIES

609, इन्दिरा भवन, लखनऊ 609, Indira Bhawan, Lucknow. Ph./Fax : 0522-2287097 ٦٠٩، اندرا بھون، لکھنؤ

पत्रांक 98/अ०सं०आ०/स०क०/2021 दिनांक 24-05-2021

प्राथमिकता

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 आयोग के समक्ष पिछले कुछ समय से इस प्रकार की घटनायें संज्ञान में आ रहीं है, जिसमें कि पुलिस कर्मियों के द्वारा सिख अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते समय उनके धार्मिक चिन्हों, यथा–पगड़ी, केश, दाढ़ी इत्यादि का अपमान किया जा रहा है। वर्तमान में कुछ दिनों पूर्व ही पीलीभींत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सैनिक सरदार रेशम सिंह के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तथा एक अन्य वायरल वीडियो, जोकि कथित तौर पर जिला शामली का बताया जा रहा है, में पुलिस कर्मियों के द्वारा बर्बरता पूर्वक सिख व्यक्ति को, उसके केश पकड़ कर पीटते हुए दर्शाया गया है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता एवं गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है।

अतः मा0 आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, सिख अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाते समय, उनके धार्मिक चिन्हों की गरिमा को ध्यान में रखे जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस के सभी प्रमुख अधिकारियों तथा समस्त जिला पुलिस के अधिकारियों को आदेश जारी करने का कष्ट करें। मा0 आयोग आपसे यह भी अपेक्षा करता है कि उपरोक्त आदेश को प्रदेश के समस्त जनपदों में, थाना स्तर पर थानाध्यक्षों को उपलब्ध कराया जाये, ताकि उपरोक्त घटनाओं को रोका जा सके।

ADG (HR)

imp.
SP HR

(सरदार परविन्दर सिंह)
सदस्य